तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन पत्र संख्या 09/2020 अनवान जेठाराम बनाम निम्बाराम
24.02.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण की तरफ से किसी प्रकार का वकालत नामा प्रस्तुत नही हुआ। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111, 128 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा ऊदे का तला पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 2109/1051 रकबा 64.13 बीघा, 1050 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नंबर 2110/1051 रकबा 35.01 बीघा के अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। अतः मौजा ऊदे का तला पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 2109/1051 रकबा 64.13 बीघा, 1050 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नंबर 2110/1051 रकबा 35.01 बीघा के अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलाश में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर